मूल्य रू. 10/-

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन-पत्र

क्रमांक............ वर्ष 20..........

नोटः- 1. आवेदित विषय/प्रश्नपत्र में परिवर्तन, किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। अतः छात्र विषय/प्रश्नपत्र परिवर्तन हेतु आवेदन न करें।
2. पृष्ठ क्रमांक 2 पर मुद्रित निर्देशों का पालन करें। छात्र आवेदन पत्र की पूर्ति स्वयं करें।

प्रति,
कुलसचिव,
महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन, (म.प्र.)

महोदय,

कृपया मेरी उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने का कष्ट करें। मैंने आवेदन-पत्र पर मुद्रित समस्त निर्देशों का अध्ययन कर लिया है तथा वे मुझे मान्य हैं।

(अ)	(ब)
1. परीक्षार्थी का नाम	1. प्रश्नपत्र में मुद्रित कोड क्रमांक..
2. परीक्षा का नाम	2. विषय ....
3. अनुक्रमांक	3. प्रश्नपत्र का नाम .... (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)
4. परीक्षा केंद्र	4. परीक्षा केंद्र ....
5. परीक्षा फल घोषित होने की तिथि	(प्रश्नपत्र का नाम एवं क्रमांक स्पष्ट अंकित करें)
6. शुल्क रुपये .... बैंक चालान/नगद/ऑनलाइन भुगतान क्र. .... दिनांक .... द्वारा जमा की गयी। (चालान की एक प्रति संलग्न है)	5. यदि उक्त प्रश्नपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रश्नपत्र में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है तो उस प्रश्नपत्र का नाम ....
	6. आवेदित प्रश्नपत्र के प्राप्तांक ....
	पूर्णांक ....

पत्र व्यवहार हेतु पता ....
....
....

(परीक्षार्थी का नाम तथा हस्ताक्षर)

वर्ष 20........पुनर्मूल्यांकन आवेदन-पत्र प्राप्ति रसीद

(छात्र अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम/विषय/प्रश्नपत्र आवेदन-पत्र के अनुसार ही लिखें)

क्र. ....

परीक्षार्थी का नाम ....

परीक्षा का नाम (कक्षा)..विषय/प्रश्नपत्र..

अनुक्रमांक .... चालान क्रमांक .... दिनांक ....

बैंक का नाम ....

विशेष :- पुनर्मूल्यांकन का परिणाम पूरक/द्वितीय परीक्षा के पूर्व घोषित हो यह अनिवार्य नहीं है।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

// आवश्यक निर्देश //

आवेदन-पत्र की पूर्तियां करने के पूर्व समस्त निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें तथा परीक्षार्थी स्वयं आवेदन-पत्र की पूर्ति करें।

(1) आवेदन-पत्र में उल्लेखित विषय/प्रश्नपत्र में परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। अतः आवेदन-पत्र की पूर्ति सावधानीपूर्वक करें।

(2) पुनर्मूल्यांकन का परिणाम पूरक/द्वितीय परीक्षा के पूर्व घोषित किया जाना अनिवार्य नहीं है।

(3) कोई भी परीक्षार्थी अधिकतम 2 प्रश्नपत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवा सकता है।

(4) प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका के लिए पृथक्-पृथक् आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(5) पुनर्मूल्यांकन की सुविधा क्रियात्मक, मौखिक, सात्रिक कार्य, अधि-निबन्ध, अभिकार्य, प्रतिवेदन तथा ग्राम सर्वेक्षण के लिए प्रभावशील नहीं है।

(6) पुनर्मूल्यांकन के परिणामों की सूची विश्वविद्यालय के सूचनापटल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा प्रतिलिपि समस्त महाविद्यालयों को भेजी जाएगी।

(7) पुनर्मूल्यांकन का सामान्य शुल्क प्रति उत्तर-पुस्तिका रू. 750/- है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(8) आवेदन-पत्र अंकसूची जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर सामान्य शुल्क सहित तथा इसके पश्चात् 7 दिन तक रु. 100/- सहित प्रस्तुत करना चाहिए। अंकसूची जारी होने की दिनांक इसमें सम्मिलित नहीं रहेगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिए जावेंगे।

(9) शुल्क केवल चालान के द्वारा ही जमा किया जावेगा।

(10) पुनर्मूल्यांकन के आवेदन-पत्र प्रस्तुति से आगामी परीक्षा आवेदन-पत्र का सम्बन्ध नहीं है। अतएव अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन परिणाम की प्रतीक्षा न कर उसी परीक्षा का आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

(11) पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में लगभग दो माह का समय लगता है। अतएव इस अवधि में किसी प्रकार के पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं है।

(12) आवेदन-पत्र के साथ अंकसूची की फोटो प्रति लगाना आवश्यक है।

(13) अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे। गलत अनुक्रमांक लिखने/प्रश्नपत्र का उल्लेख स्पष्ट न होने से आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

(14) पृष्ट क्र. 01. पर मुद्रित **'पत्र व्यवहार के लिए पता'** वाले स्थान पर आवेदक अपना पूरा पता सावधानी पूर्वक लिखें।